अध्याय – VI
अनुपालन लेखापरीक्षा

नगर विकास एवं आवास विभाग

6.1 निष्फल व्यय

बिहार राज्य जल पर्षद (बि.रा.ज.प.) द्वारा पूरी लंबाई में नाले का निर्माण नहीं किए जाने एवं आंशिक निर्मित नाले के बीच में मिसिंग लिंक छोड़े जाने के फलस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

बिहार राज्य जल पर्षद (बि.रा.ज.प.) ने फतुहा–पटना रेलवे लाइन एवं न्यु बाई पास क्षेत्र के बीच मल जल के फैलाव को रोकने हेतु चौक शिकारपुर (रेलवे लाईन) से पटना – फतुहा बाई–पास रोड तक नाले के निर्माण के लिए ₹ 3.76 करोड़ का एक प्राक्कलन तैयार किया था (अगस्त 2005)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 2005) मुख्य अभियंता, बि.रा.ज.प. द्वारा तथा ₹ 3.73 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (फरवरी 2006) नगर विकास एवं आवास विभाग (विभाग), बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गयी। विभाग ने पटना नगर निगम के माध्यम से बि.रा.ज.प. को ₹ 3.73 करोड़ का सहायता अनुदान विमुक्त (2006–09) किया।

बि.रा.ज.प. के कार्यपालक अभियंता (का.अ.), गंगा परियोजना प्रमंडल – 4 (प्रमंडल) करमलीचक, पटना के कार्यालय के अभिलेखों के नमूना जाँच (सितंबर 2014) में पाया गया कि 2006 – 11 के दौरान, बि.रा.ज.प. ने प्रमंडल को नाले के निर्माण के लिए ₹2.25 करोड़ की राशि विमुक्त किया। विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार, कार्य का कार्यान्वयन तीन भागों[38] में निधि प्राप्ति के एक वर्ष के अंदर किया जाना था। तथापि, जून 2006 से मई 2010 के दौरान कुल 2815 मी. लंबाई में से केवल 2205 मी. लंबाई में ही कार्य पूरा किया गया था जिसके उपरांत कार्य को परित्यक्त कर दिया गया। कार्य को टुकड़ों में कार्यान्वित किया गया एवं इनके बीच में कई मिसिंग लिंक थे जिसका विवरण ***परिशिष्ट – 6.1*** में दर्शाया गया है।

मूल प्राक्कलन के अनुसार, नाले के प्रथम भाग[39] का निर्माण 1260 मी. लंबाई (₹ 1.26 करोड़) में किया जाना था परंतु, तकनीकी कारणों से केवल 500 मी. लंबाई[40] में ही आर.सी.सी. नाला निर्माण व जीर्णोद्धार' हेतु प्राक्कलन को संशोधित किया गया। कार्य का आवंटन (मई 2009) ₹ 1.40 करोड़ के लिए एक अभिकरण को एक वर्ष की

---

38 *(i) सिटी चौक से रेलवे स्टेशन तक नाला निर्माण (ii) मंगल तालाब क्षेत्र से गुरू गोविंद सिंह लेन तक शाखा लाईन का निर्माण (iii) रेलवे लाईन से न्यू बाईपास सड़क तथा न्यू बाईपास रोड से पहाड़ी–पुनपुन नाले तक नाला का निर्माण*

39 *सिटी चौक से रेलवे स्टेशन*

40 *प्राक्कलित राशि ₹ 1.36 करोड़*

अंदर पूरा करने की नियत तिथि के साथ किया गया। संवेदक ने ₹ 71.02 लाख के व्यय से केवल 435 मी. लंबाई में ही नाले का निर्माण किया तथा शेष भाग में कार्य को अकार्यान्वित छोड़ दिया। संवेदक ने कार्य पूरा नहीं होने का कारण लोगों के द्वारा डायवर्जन को क्षति पहुँचाना तथा कार्य स्थल पर बारिश होना बताया (दिसम्बर 2010)।

नाले के द्वितीय भाग[41] के कार्य का आवंटन (जून 2006) ₹ 40.56 लाख के लिए अभिकरण को मई 2007 में पूर्ण करने की नियत तिथि के साथ किया गया था। मई 2007 में पूर्ण करने के लिए आवंटित किया गया। कार्य, ₹ 38.41 लाख के व्यय से पूर्ण हुआ (मार्च 2009)।

कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए नाले के तृतीय भाग (सिटी चौक से रेलवे लाईन – 1700 मी.) को तीन खंडों[42] में विभक्त किए गए तथा विभिन्न अभिकरणों से अलग–अलग एकरारनामे निष्पादित किए गए। केवल प्रथम खंड (0 से 550 मी.) का कार्य ₹ 62.05 लाख के व्यय के साथ पूर्ण हुआ (सितम्बर 2010)। द्वितीय खंड (550 से 1100 मी.) का कार्य अभिकरण को ₹ 67.36 लाख के लिए, 31 मई 2007 को पूर्ण करने की नियत तिथि के साथ आवंटित किया गया (जून 2006)। 550 मी. में नाले के निर्माण हेतु सौंपे गए कार्य के विरूद्ध ₹ 29.51 लाख के व्यय से केवल 275 मी. में कार्य पूर्ण किया गया (मई 2008)। तृतीय खंड (1100 से 1700 मी.) का कार्य अभिकरण को ₹ 61.65 लाख के लिए फरवरी 2007 में पूर्ण करने की नियत तिथि के साथ आवंटित किया गया (सितंबर 2006)। मई 2008 तक ₹ 32.01 लाख के व्यय से नाले के केवल 330 मी. लंबाई का ही निर्माण किया गया। संवेदक ने कार्यस्थल पर सामग्रियों की ढुलाई में बाधा होने के कारण कार्य को जारी रखने में अपनी असमर्थता बताई (सितम्बर 2009)।

कार्य के संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2014) में पाया गया कि नाले का निर्माण प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया गया था तथा मल जल पटना–फतुहा रेलवे लाईन एवं आवासीय क्षेत्र के मध्य फैला हुआ था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अभिकरणों द्वारा निष्पादित किये गए कार्य के मध्य कई मिसिंग लिंक एवं नाले के अनिर्मित भाग थे।

इसे इंगित किए जाने पर, प्रमंडल के का.अ. ने मिसिंग लिंक के अस्तित्व को स्वीकार किया (नवंबर 2014) तथा बताया कि वर्तमान में मूल प्राक्कलन के अनुसार कार्य को पूरा करने की कोई योजना नहीं थी। उन्होनें पुनः बताया (मई 2015) कि नाला, पहाड़ी–पुनपुन नाले के 0–550 मी. खंड के साथ जुड़ा हुआ था तथा यह अच्छी तरह से कार्य कर रहा था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 550 – 1100 मी., 1100 – 1700 मी. खंड में एवं पटना सिटी चौक से रेलवे स्टेशन (500 मी.) भाग में नाले का

---

41 *मंगल तालाब क्षेत्र से गुरू गोविंद सिंह लेन तक शाखा लाईन*

42 *प्रथम खंड – पटना सिटी रेलवे लाईन के निकट (0 – 550 मी.); द्वितीय खंड – पुनपुन नाला से रेलवे लाईन की ओर (550 – 1100 मी.); तृतीय खंड – पटना सिटी रेलवे लाईन से बाई पास की ओर (1100 – 1700 मी.)*

निर्माण नहीं होने तथा निर्मित भागों के मध्य मिसिंग लिंक होने के कारण फतुहा–पटना रेलवे लाइन एवं न्यू बाईपास क्षेत्र के बीच मल जल के फैलाव को रोकने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इस प्रकार, नाले के निर्माण (आंशिक) पर किया गया ₹1.33 करोड़[43] का संपूर्ण व्यय वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सका तथा निष्फल हो गया।

मामले को सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2015); उनका जवाब प्रतीक्षित था।

6.2 निष्क्रिय वाहन/उपकरण

संविदा अवधि की समाप्ति के उपरांत कंसेसियनर द्वारा ₹ 2.51 करोड़ मूल्य के वाहनों एवं उपकरणों को नगर परिषदों को हस्तांतरित नहीं किए जाने के फलस्वरूप, न केवल ये वाहन/उपकरण दो वर्षों से अधिक की अवधि तक अनुपयोगित पड़े रहे बल्कि समय के साथ उनका क्षति/क्षय हुआ।

नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि.आ.वि), बिहार सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत पटना के शहरी क्षेत्रों (दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद्) के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कुशल एवं प्रभावी ढंग से कूड़ा संग्रहण एवं परिवहन तंत्र तैयार करने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठो.अ.प्र.) योजना अनुमोदित किया था।

राज्य सरकार ने उक्त योजना को बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) के द्वारा कार्यान्वित करवाने का निर्णय लिया (दिसंबर 2009) तथा जनवरी 2010 से मई 2013 में ₹ 5.20 करोड़[44] विमुक्त किया। बुडको ने सभी तीनों नगर परिषदों (न.प.) में इस कार्य को एक कंसेसियनर को सौंप दिया तथा दिसंबर 2011 से जनवरी 2012[45] के बीच न.प. के कार्यपालक पदाधिकारियों एवं कंसेसियनर के साथ एक त्रिपक्षीय एकरारनामा किया गया। कंसेसियनर ने मई 2012 में कार्य प्रारंभ किया। कुल अनुदान राशि में से बुडको ने ₹ 3.09 करोड़ का व्यय ठो.अ.प्र. के लिए आवश्यक वाहनों/उपकरणों के क्रय पर जुलाई से अक्टूबर 2012 के दौरान किया।

---

43 *₹ 71.02 लाख + ₹ 29.51 लाख + ₹ 32.01 लाख*

44 *केंद्रांश – ₹ 2.31 करोड़ एवं राज्यांश – ₹ 2.89 करोड़*

45 *दानापुर नगर परिषद् – 25 जनवरी 2012; खगौल नगर परिषद् – 5 दिसंबर 2011 एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् – 6 जनवरी 2012*

एकरारनामा के अनुसार, बुडको कंसेसियनर के माध्यम से वाहनों/उपकरणों को क्रय करेगा तथा उसे न.प. को हस्तांतरित करेगा जिसे पुनः कार्य संपादन के लिए कंसेसियनर को हस्तांतरित किया जाएगा। हांलाकि, वाहनों एवं उपकरणों का स्वामित्त्व न.प. का होगा। संविदा अवधि की समाप्ति के उपरांत, कंसेसियनर को इन वाहनों एवं उपकरणों को क्रियाशील स्थिति में न.प. को हस्तांतरित करना था। कंसेसियनर को एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए बैंक गारंटी[46] भी जमा करना था एवं उसे प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाना था, जब तक संविदा समाप्त न हो।

नगर परिषद् दानापुर, फुलवारीशरीफ एवं खगौल के लेखाओं की लेखापरीक्षा (जुलाई 2014 – जुलाई 2015) में पाया गया कि जुलाई से सितंबर 2012 के दौरान कंसेसियनर को ₹ 3.09 करोड़[47] मूल्य के 1020 वाहनों एवं उपकरणों[48] का हस्तांतरण किया गया ***(परिशिष्ट – 6.2)***। परन्तु, न.प. द्वारा वाहनों एवं उपकरणों की भंडार पंजी में प्रविष्टि नहीं की गई। कंसेसियनर द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा संतोषप्रद नहीं होने के कारण, न.प. ने अप्रैल से अगस्त 2013 के दौरान संविदा समाप्त कर दिया। तथापि, कंसेसियनर संबंधित न.प. को वाहनों एवं उपकरणों के हस्तांतरण में विफल रहे। कंसेसियनर ने 397 उपकरणों एवं 4 वाहनों को न.प. परिसर में तथा एक वाहन को सिंचाई विभाग के परिसर में छोड़ दिया। इनमें से, न.प. खगौल एवं फुलवारीशरीफ द्वारा 78 वाहनों/उपकरणों[49] को उपयोग में लाया गया। शेष ₹ 1.58 करोड़ के 324 उपकरण क्षतिग्रस्त अवस्था ***(परिशिष्ट–6.3)*** में थे तथा न.प. परिसर में पड़े हुए थे। कंसेसियनर को हस्तांतरित किए गए कुल 1020 वाहनों/उपकरणों में से ₹ 93.41 लाख मूल्य के शेष 618 उपकरणों का पता नहीं चल सका ***(परिशिष्ट–6.4)***।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि न.प. कंसेसियनर द्वारा जमा कराए गए ₹ 76 लाख के बैंक गारंटी को नकदीकरण कराने में विफल रहे। यद्यपि, कंसेसियनर द्वारा एकरारनामे की शर्तों का पालन नहीं किये जाने के बावजूद, न.प. के प्राधिकारियों ने समस्त वाहनों एवं उपकरणों का हस्तांतरण प्राप्त करने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाए। वाहनों/उपकरणों के क्षतिग्रस्त/अज्ञात होने के बावजूद न.प. बैंक गारंटी का नकदीकरण कराने में विफल रहे। जिसके फलस्वरूप, न.प. ₹ 2.51 करोड़ के क्षतिग्रस्त एवं अज्ञात उपकरणों का लागत मूल्य कंसेसियनर से वसूल नहीं कर सके तथा न.प. एक प्रभावी कूड़ा परिवहन तंत्र से वंचित रहा।

---

46 *दानापुर – ₹ 39 लाख; खगौल – ₹ 18 लाख एवं फुलवारीशरीफ – ₹ 21 लाख*

47 *दानापुर – 583, खगौल – 205 एवं फुलवारीशरीफ – 232*

48 *दानापुर – ₹ 1.42 करोड़, खगौल – ₹ 0.82 करोड़ एवं फुलवारीशरीफ – ₹ 0.86 करोड़*

49 *फुलवारीशरीफ – 25 उपकरण (₹ 6.95 लाख) एवं एक वाहन (₹ 24.18 लाख); खगौल – 51 उपकरण (₹ 1.79 लाख) एवं एक वाहन (₹ 24.18 लाख)*

इसे इंगित किए जाने पर, न.प. के कार्यपालक पदाधिकारियों ने बताया गया कि वाहनों एवं उपकरणों को हस्तांतरित करने के लिए कंसेसियनर को निर्देश (जुलाई 2013 से जुलाई 2014) दिया गया था परंतु अगस्त 2015 तक इसे हस्तांतरित नहीं किया गया।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2015); स्मार–पत्र निर्गत किया गया (नवंबर 2015); उनका जवाब प्रतीक्षित था।

पटना **(प्रवीण कुमार सिंह)**

दिनांकः 04 मार्च 2016 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांकः 11 मार्च 2016 **भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक**